सं0-412जेएल/22-3-25-ई-1966012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 अक्टूबर 2025

विषय- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध 08 कतिपय विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-33688 सामा-1(5)/162/बन्दी स्था0/2025, दिनांक-26.08.2025 एवं पत्र संख्या-36608सामा-1(5)/162/बन्दी स्था0/2025, दिनांक-18.09.2025 द्वारा की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित विचाराधीन 08 बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरित कारागार
1	2	3	4
1	रोहन उर्फ कालू पुत्र साधू उर्फ सुभाष	जिला कारागार, मेरठ	जिला कारागार, चित्रकूट
2	अभिषेक उर्फ पोलार्ड पुत्र राजकुमार		जिला कारागार, अम्बेडकरनगर
3	मिथुन उर्फ मयंक पुत्र दिनेश प्रजापति		केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
4	दीपांशु पुत्र अरविन्द		केन्द्रीय कारागार, आगरा
5	अतुल पुत्र लोमिस उर्फ जितेन्द्र		केन्द्रीय कारागार, बरेली-2
6	गर्वित उर्फ गुरमीत पुत्र अरूण कुमार		केन्द्रीय कारागार, नैनी
7	हरिओम पुत्र ओमकार		केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़
8	विनीत कुमार पुत्र जगपाल		केन्द्रीय कारागार, इटावा

2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन का शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट मेरठ/चित्रकूट/अम्बेडकरनगर/वाराणसी/आगरा/बरेली/प्रयागराज/फर्रूखाबाद/इटावा।
5- पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ/चित्रकूट/अम्बेडकरनगर/वाराणसी/आगरा/बरेली/प्रयागराज/फर्रूखाबाद/इटावा।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक, जिला कारागार/केन्द्रीय कारागार, मेरठ/चित्रकूट/अम्बेडकरनगर/वाराणसी/आगरा/बरेली-2/नैनी प्रयागराज/फतेहगढ़/इटावा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को उक्त तालिका के कालम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना अनुभाग के ई-मेल-sokaragar3@yahoo.com के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in